

**उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर**

**// आदेश //**

क्रमांक C/4560 /

जबलपुर, दिनांक 14/06/2024

II-13-14/12

श्री रामचरण सिसोदिया, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर को एक्सीडेंट में पैर फ्रैक्चर होने के कारण दिनांक 28.11.2023 से 03.12.2023 तक 6 दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 04.12.2023 से 02.04.2024 तक 121 दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया गया।

माननीय रजिस्ट्रार जनरल  
महोदय के आदेशानुसार

सही / -

(दीपक बंसल)  
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक C/4561 /

जबलपुर, दिनांक 14/06/2024

II-13-14/12

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-इंदौर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक अवकाश/1231 इंदौर दिनांक 09.05.2024 के संदर्भ में श्री रामचरण सिसोदिया, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर का आवेदन पत्र, निर्धारित प्रपत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र, कार्यभार ग्रहण आवेदन पत्र एवं चिकित्सीय पेपर्स संलग्न सहपत्रों को वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।  
संलग्न : उपरोक्तानुसार।
2. रजिस्ट्रार (आई.टी.-सी.एस.ए.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
4. ए.ओ. (जे) स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
5. सहायक अवकाश, स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(दीपक बंसल)  
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

५